समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रं. निगरानी-4749/2018/जबलपुर/भू.रा.

आवेदिका – श्रीमती रंजनी कुमारी पत्नी योगेन्द्र कुमार कुशवाहा, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी– ग्राम शिवपुरी कजरवारा तहसील व जिला जबलपुर

विरूद्ध

अनावेदकगण –
1. रामप्रवेश सिंह आत्मज शिवलखन सिंह यादव निवासी– शिवपुरी कजरवारा कटियाघाट रोड तहसील व जिला जबलपुर हाल पता– मोहनी होम्स, बिलहरी, जबलपुर
2. मध्यप्रदेश शासन
   द्वारा–नायब तहसीलदार (केन्ट क्षेत्र) कलेक्ट्रेट कार्यालय, तहसील व जिला जबलपुर

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 भू–राजस्व संहिता 1959

आवेदिका माननीय न्यायालय नायब तहसीलदार (केन्ट क्षेत्र) जिला कार्यालय कलेक्ट्रेट जबलपुर के प्र.क्रं. 6–अ/12–2017–18 में पारित आदेश दिनांक 08–11–2017 एवं रा.नि. द्वारा दिनांक 04–10–2016 को किये गये सीमांकन से परिवेदित होकर यह पुनरीक्षण याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नांकित तथ्य एवं आधारों पर प्रस्तुत करती है ।

तथ्य – प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदिका ने ग्राम कजरवारा न. बं. 505 पटवारी हल्का नं. 23 स्थित भूमि खसरा नं. 280/2 रकवा 0.243 हे. में से रकवा 0.160 हे. भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04–07–2005 विक्रेता भूमि स्वामी मथुरा प्रसाद कुशवाहा से खरीदी थी। उक्त भूमि का आवेदिका ने दिनांक 06–11–2009 को सीमांकन कराया था जिसमे आवेदिका के स्वामित्व की भूमि में अनावेदक क्रं. 1 का अवैध कब्जा पाया गया था जिसे प्राप्त करने के लिये आवेदिका ने धारा 250 भू–राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत कार्यवाही की थी जिसका प्रकरण क्रमांक 328–बी–121–2012–13 पर दर्ज होकर माननीय न्यायालय अपर आयुक्त जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष विचाराधीन है ।

...2

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 4749/2018/जबलपुर/भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
01 –8–18	आवेदक के अधिवक्ता श्री एम0 एम0 मुदगल उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार केन्ट क्षेत्र जिला कार्यालय कलेक्ट्रेट जबलपुर के प्रकरण कमांक 6/अ–12/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 08.11.2017 एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 4.10.16 को किये गये सीमांकन के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई। निगरानी आवेदन पत्र के साथ उनके द्वारा धारा–5 का आवेदन पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया है। 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी 7 माह के विलंब से प्रस्तुत की गई है। आवेदक द्वारा म्याद अधिनियम की धारा–5 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन में ऐसे कोई ठोस आधार नहीं दर्शाये गये हैं जिसमें विलंब मांफ किया जा सके, समयावधि बाह्य प्रकरणों में दिन प्रतिदिन के विलंब का स्पष्ट एवं समाधानकारक कारण दर्शाया जाना चाहिये। आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक द्वारा विलंब के संबंध में कोई ठोस व स्पष्ट कारण नहीं दर्शा सके है। अतः निगरानी अवधि बाह्य मान्य करते हुये अग्राह की जाती है। (एस0 एस0 अली) सदस्य	